

जज अदालत ~~अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट~~ मुकाम ~~झुंझुन~~
 एस्कार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग नाम जेठू सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
 किस्म मुकदमा ~~P.S.A Act 2006~~ नं. 06 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं सम्पटित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सिहाग द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुन	
28/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने खेमी सती के पास, झुंझुन में मै0 चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह मिठाई बनाने के साथ-साथ बाजार से खरीदी पैकड खाद्य सामग्री (बिकानेरी भुजिया बिकाजी) भी बेचता है। इस पैकड खाद्य सामग्री में उसने कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./262/एक्ट/2021/344/दिनांक 24.02.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन बिकानेरी भुजिया (बिकाजी) मिसब्रान्ड (Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार में खाद्य पदार्थ नमकीन बिकानेरी भुजिया (बिकाजी) का बेचान करता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ नमकीन बिकानेरी भुजिया (बिकाजी) मिसब्रान्ड (Misbranded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री जेठू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, मै0 चामुण्डा जोधपुर मिष्ठान भण्डार, खेमी सती के पास, झुंझुन को धारा 26 की उपधारा (2) (II) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/- पांच हजार रुपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस</p>	<p>जेठू सिंह</p> 

